

LR
16/5/18

2018/0051
RCMS
R

प्रपत्र-6

“खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र”
(सा. भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उप डण्ड अधिकारी महोदय

सेडवा

प्रकरण नं 36/18
16.5.18

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम कृष्णापुरा की जामाबन्दी


संवत् 2073-76 खाता संख्या 3631, 32 में मेरा नाम जीवारासु

पि. कलनाराम है मेरा नाम पश्चिम पत्र आधार कार्ड में बैंक साख्त
में जीवारासु है जो उचित है अतः मेरे राजस्व रेकॉर्ड
पत्रा जमावडी में जीवा की जगह जीवारासु करना
चाहता हूँ।

सप्तम - अम बैंक साख्त पश्चिम पत्र आधार कार्ड



मिम्बारासु/कलनाराम



अजारासु

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी



अ.नि. जीवारासु विठरतनारासु

दिनांक : 16/5/18

कॉम जाट ला कृष्णापुरा

प्राची का जमाखी में प्राची खिरी व भू.अ.नि. 31, 32 में "जीवशम" हो
 प्राची द्वारा उत्तुत आधार कार्ड बैंक डाकघर परिचय पत्र में "जीवशम"
 है जो उचित है राजस्व रेकॉर्ड में "जीवशम" की जगह "जीवा
 शम" किया जाना उचित है। सहकारी के काम लेल

16/11/18
 च. शर्मा

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

पटवारी हल्का शंवार व ल. अ. नि. निरीक्षक शंवार की रिपोर्ट, गवाहान
 के जमान व उत्तुत साक्ष्यों के आधार पर गाम कृष्णपुरा के जेत
 खण्ड 218, 219 व 5क/1187 में शुद्ध नाम जीवशम के स्थान पर
 जीवशम किया जाना उचित है सहकारी नि. शंवार अ. शंवार नि.
 शंवार के काम लेल

16/11/18
 तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

आदेश

तहसीलदार सेड़वा, IZR सेड़वा, पटवारी हल्का शंवार से प्राप्त जंच रिपोर्ट
 एवं प्राची द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के साथ दस्तखतों के आधार पर
 प्राची का प्रार्थना पत्र खीदार का प्राची का नाम "जीवशम"
 के स्थान पर शुद्ध नाम "जीवशम" दुरुस्त करने का अधिदेश
 दिया जाता है उपरोक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमलदार मद
 कले का तहसीलदार सेड़वा को अधिदेश दिया जाता है। पत्रावली
 पं. नं. शुभार होकर राखिल रहने हे।



उपखण्ड अधिकारी
 चौहटन